प्रतिवेद्य

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय अधिकार

सिविल अपील सं. 3890/2010

मेसर्स अवध शुगर मिल्स लिमिटेड ... अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य ...प्रत्यर्थी

के साथ

दीवानी अपील सं. 3891/2010

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. शुभाष रेड्डी,

1. ये दीवानी अपील याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद , लखनऊ बेंच, लखनऊ के समीक्षा याचिका सं. 253/2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 18. 07. 2006 और अगला आदेश

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिनांकित 11. 09. 2007 से व्यथित होकर रिट याचिका सं. 6732/1986 दायर की गई है, उपरोक्त आदेशों के अनुसार , उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका और समीक्षा याचिका को क्रमशः खारिज कर दिया है।

2. अपीलकर्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका नाम अवध शुगर मिल्स लिमिटेड है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के, जिला सीतापुर के हरगांव में स्थित है। अपीलकर्ता कंपनी नें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए निम्नलिखित राहत की मांग किया है:

> **(i)** चीनी (1984-85 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1984 और चीनी (1985-86 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1985 के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ताओं के पूर्वी यूपी जोन में स्थित चीनी कारखाने को लगाने के लिए विपरीत पक्षों को निर्देश देने वाले परमादेश को आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करके;
>
> **(ii)** चीनी (1984-85 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1984 और 1985-86 उत्पादन के लिए चीनी मूल्य निर्धारण) आदेश, 1985 के तहत याचिकाकर्ताओं के पूर्वी यूपी जोन में स्थित चीनी कारखाने को लगाने के लिए विपरीत पक्षों को चीनी कारखाने में उपयोग के लिए स्वीकार्य लेवी चीनी के मूल्यों को अनुमती प्रदान करने का निर्देश देने वाले परमादेश को आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करके और विपरीत पक्षों को जिला सीतापुर के अन्य चीनी कारखानों के साथ याचिकाकर्ताओं के चीनी कारखाने को आगे जारी रखने का निर्देश देना और उत्तर

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में चीनी कारखानों के लिए लागू मूल्य के अनुसार याचिकाकर्ताओं को लेवी चीनी की कीमत का भुगतान करने के लिए विपरीत पक्षों को निर्देश दे सकते है।

(iii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (च) और धारा 3 (3 ग) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) को अधिकार से परे के रूप में घोषित करें;

(iv) कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जैसा कि मामले की प्रकृति वारंट के अनुरूप हो सकती है।

(v) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक तदर्थ अंतरिम आदेश जारी करना;

(vi) मामले की लागत याचिकाकर्ताओं को अधिनिर्णित करें. ”

3. चूंकि अपीलकर्ता ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (एफ) और 3 (3 सी) की वैधता पर मांगी गई घोषणा पर राहत के लिए दबाव नहीं डाला, इसलिए उच्च न्यायालय को इसको इस तरह से नही लिया जाना चाहिए।

4. पेराई वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिए अपीलकर्ता चीनी मिल को लेवी चीनी के लिए मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय जोन में रखा गया था। मुख्य रूप से, यह अपीलकर्ता का मामला था कि सीतापुर जिले में चीनी मिलों की भौगोलिक और जलवायु स्थितियां, इसी तरह के अन्य चीनी कारखानों जैसे सेसरिया बिसवान शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, जिला सीतापुर और किसान सहकरी चिन मिल्स लिमिटेड महमूदाबाद

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(अवध), जिला सीतापुर के समान हैं। उसी के बावजूद, इन दो कारखानों को पूर्वी क्षेत्र में शामिल किया गया था , जबकि पेराई वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिए लेवी चीनी मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से अपीलकर्ता कारखाने के साथ भेदभाव किया गया था और केंद्रीय जोन में ही रखा गया था।

5. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों और अभिलेख की अन्य सामग्री पर विचार करने से , उच्च न्यायालय ने यह पाया कि उक्त निर्णय एक नीतिगत निर्णय था, जिसने केंद्र सरकार को एक उचित वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी और किसी भी मामले की अनुपस्थिति में मनमानी या शत्रुतापूर्ण भेदभाव से बाहर, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

6. हमने अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. शेखर और प्रत्यर्थीयों की ओर से प्रस्तुत विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री बिनू टमिटा को सुना है और अभिलेख पर रखे आक्षेपित आदेश और अन्य सामग्री का अवलोकन किया है।

7. क्षेत्र में चीनी के निर्माताओं को उनके समग्र उत्पादन और निवेश पर एक उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के इरादे से एक क्षेत्र के लिए लेवी चीनी की कीमत तय की जाती है, बशर्ते कि इकाइयां आर्थिक और कुशल तरीके से चल रही हों। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के तहत कवर किए गए प्रासंगिक समय के दौरान चीनी एक नियंत्रित वस्तु थी। कुछ मात्रा में चीनी को लेवी चीनी कहा जाता है, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सरकार को आपूर्ति की जानी थी और उसमें से बचे चीनी को लेवी मुक्त चीनी कहा जाता था, जिसे खुले बाजार में बेचा जा सकता था। लेवी चीनी की कीमत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बनाए गए नियंत्रण आदेश के आधार पर तय की गई थी। लेवी चीनी का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ निकाय द्वारा तैयार किए गए और अनुशंसित बुनियादी-लागत अनुसूचियों के आधार सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। जैसा कि प्रत्यर्थीयों के रुख से स्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जोनल पैटर्न के संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (BICP) की सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा संगत नहीं पाई गई थी और इसे लागू नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने बिसवान और महमूदबाद में चीनी कारखानों के साथ समानता का दावा किया है, लेकिन ऐसी इकाइयों को राज्य सरकार और BICP द्वारा घोषित योग्यता के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था और लेवी की कीमतें ज़ोन के लिए तय की गई हैं न कि प्रत्येक कारखाने के लिए। जोन भी राजस्व जिलों के अनुसार नहीं थे। केवल इसलिए कि केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में मूल्य में अंतर है, अपीलकर्ता दावा नहीं कर सकता है, सही रूप में, इसकी इकाई को संबंधित वर्षों के दौरान केंद्रीय जोन के बजाय पूर्वी जोन में रखा जाना था। रिट याचिका में आक्षेपित

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आदेश विशेषज्ञों द्वारा गहन अध्ययन पर आधारित थे। वैधानिक शक्ति के प्रयोग में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निष्कर्षों को या तो भेदभावपूर्ण या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अब तक बिसवान और महमूदबाद में चीनी इकाइयों का संबंध है, उन्हें राज्य द्वारा घोषित योग्यता के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब राजस्व जिले जोनल डिवीजन के लिए सीमाएं नहीं हैं, तो अपीलकर्ता केवल इस आधार पर अन्य इकाइयों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है कि सभी इकाइयां सीतापुर जिले में स्थित हैं। अपीलकर्ता इकाई के संबंध में भी, समय की कमी के बाद इसे पूर्वी क्षेत्र में रखना संगत माना गया और हमें सूचित किया गया कि इसे पूर्वी क्षेत्र में रखा गया था। जैसा कि अपीलकर्ता किसी भी गैरकानूनी भेदभाव और वैधानिक उल्लंघन को प्रदर्शित करने में विफल रहा है, केवल इस आधार पर कि सीतापुर जिले की अन्य इकाइयों को पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था और संबंधित पेराई वर्षों के लिए अपीलकर्ता के प्रतिनिधित्व को आगे नहीं बढाया गया, अतः हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है। हमें इस दलील को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सीतापुर जिले में केंद्रीय क्षेत्र और अन्य इकाइयों में अपीलकर्ता इकाई को रखकर अपीलकर्ता के साथ भेदभाव किया गया था। दो अलग-अलग क्षेत्रों में अपीलकर्ता के कारखाने को दो अलग-अलग समय पर रखने में केंद्र सरकार की कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं है। विशेषज्ञ की रिपोर्टों को ध्यान में रखकर सरकार की संतुष्टि के अधीन समय-समय

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर नीतिगत निर्णय लिया गया। प्रत्यर्थीयों का यह भी मामला है कि नवंबर, 1980 में घोषित सरकार की प्रोत्साहन योजना के अनुसार, महमूदबाद में कारखाने को सामान्य कोटा पर बहुत अधिक मुक्त बिक्री चीनी में स्थापित किया गया था। 1984-85 और 1985-86 के पेराई वर्षों के दौरान, नीति की घोषणा करने से पहले और क्षेत्रों के निर्धारण के लिए कई प्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया था। उपर्युक्त कारणों के लिए, हमें उच्च न्यायालय के दिनांक 18. 07. 2006 के आक्षेपित आदेश में रिट याचिका को खारिज करने और आगे के दिनांकित 11. 09. 2007 आदेश के तहत समीक्षा याचिका सं. 253/ 2006 को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं मिली है, उच्च न्यायालय ने सामग्री पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्षों को दर्ज करके अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। अभिलेखित किए गए ऐसे निष्कर्षों और ऊपर उल्लिखित अन्य कारणों के मद्देनजर, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है ताकि इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। तदनुसार, इन अपीलों को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के साथ खारिज कर दिया जाता है।

8. इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार, मांग की गई राशि का 50% रजिस्ट्री में अपीलकर्ता द्वारा जमा किया जाता है और शेष 50% बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाती है। हम प्रत्यर्थी-सरकार, जमा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा कवर की गई ऐसी राशि को वापस लेने के साथ-साथ बैंक गारंटी और अर्जित ब्याज को अनुमति देते हैं।

.....

(न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौदर)

.....

(न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली;

07 फरवरी, 2020

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।